प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा०शि०प०/सिस्टम सेल/ 617 दिनांकः 16 दिसम्बर, 2024

विषयः **वर्ष 2025 की परीक्षा के लिये केन्द्र व्यवस्थापक/कक्ष निरीक्षक एवं परीक्षकों की नियुक्ति हेतु समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों का डेटा अपडेट कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वर्ष 2025 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त किये जाने वाले केन्द्र व्यवस्थापकों/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापकों/कक्ष निरीक्षकों तथा प्रयोगात्मक परीक्षा व मूल्यांकन कार्य हेतु परीक्षकों की नियुक्ति किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों का डेटा अपडेट कराया जाना है। परिषद की वेबसाइट **upmsp.edu.in** पर विद्यालयों के पोर्टल पर प्रधानाचार्यों द्वारा अपलोड कराये गये डेटा को अपडेट कराये जाने हेतु निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखा जाय—

(1) अध्यापकों के नाम, पदनाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, पंजीकरण संख्या एवं अध्यापन का विषय पूर्ण सजगता से त्रुटिरहित अपलोड/अपडेट किया जाए।

(2) अध्यापकों की नियुक्ति जिस कक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) के लिए की गयी है, उनके अध्यापन के विषय का कोड, उस कक्षा विशेष के लिए निर्धारित विषय कोड के अनुरूप ही होना चाहिए।

(3) ऐसे अध्यापक जो विद्यालय छोड़ चुके हैं अथवा दिवंगत हो गये हैं, उनके नाम पोर्टल से अनिवार्य रूप से डिलीट कर दिये जायं।

(4) विद्यालय में नवनियुक्त अध्यापकों के डेटा को अवश्य अपलोड करा दिया जाय। किसी भी कार्यरत अध्यापक का विवरण अपलोड होने से छूटने न पाये।

(5) ऐसे अध्यापक/प्रधानाचार्य जो विभिन्न कारणों से माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा डिबार कर दिये गये हैं, उन्हें पोर्टल पर डेटा में डिबार श्रेणी में अवश्य दर्शाया जाय।

(6) किसी भी दशा में किसी अध्यापक का विवरण दो विद्यालयों में अपलोड नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य अपने विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का डेटा फाइनल करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि उनके विद्यालय में कार्यरत अध्यापक किसी अन्य विद्यालय में पंजीकृत नहीं हैं। डुप्लीकेट विवरण वाले अध्यापकों का डेटा एक विद्यालय से डिलीट करा दिया जाय।

(7) सभी अध्यापकों के अन्य विवरणों के साथ—साथ उनके स्नातक एवं परास्नातक स्तर के विषयों का स्पष्ट विवरण एवं इनके शैक्षिक प्रमाण—पत्रों को पोर्टल पर अपलोड कराया जाना आवश्यक है।

(8) विद्यालय में कार्यरत अर्ह शिक्षकों के विवरणों को माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर अपलोड कराया जाना प्रधानाचार्य का दायित्व है। अतः समस्त प्रधानाचार्यों से यह अपेक्षा है कि इसका सम्पादन गम्भीरतापूर्वक, पूर्ण सजगता व सर्तकता से समयान्तर्गत सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

प्रधानाचार्यों द्वारा अपलोड/अपडेट किये गये इसी डेटा के आधार पर वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त किये जाने वाले केन्द्र व्यवस्थापकों/वाहय केन्द्र व्यवस्थापकों/ कक्ष निरीक्षकों तथा प्रयोगात्मक परीक्षा व मूल्यांकन कार्य हेतु परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

अध्यापकों का डेटा अपलोड/अपडेट करने हेतु परिषद की वेबसाइट दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 तक क्रियाशील रहेगी। अपने जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस सम्बंध में निर्देशित करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान कर दें। परिषदीय परीक्षाओं से सम्बन्धित उपर्युक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है। अतः इसका सतत पर्यवेक्षण करते हुए पूर्ण गम्भीरता, सतर्कता एवं शुद्धता के साथ समयान्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(भगवती सिंह)

सचिव

पृष्ठांकन संख्याः मा०शि०प०/सिस्टम सेल/617-9/तद्दिनांक।

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2) शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु अपने अधीनस्थ जिला विद्यालय निरीक्षकों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
(4) अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि परिक्षेत्र के जनपदों के विद्यालयों को उपरोक्त कार्यवाही हेतु अपने स्तर से सूचित एवं निर्देशित करें तथा अपलोड/अपडेट की कार्यवाही का विद्यालयवार सतत् अनुश्रवण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को स्थिति से प्रतिदिवस अवगत करायें।

(भगवती सिंह)

सचिव

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षा कार्यकम घोषित किया जा चुका है। परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्र व्यवस्थापकों/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापकों/कक्ष निरीक्षकों तथा प्रयोगात्मक परीक्षा व मूल्यांकन कार्य के लिये परीक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इस हेतु समस्त प्रधानाचार्यो द्वारा अपने-अपने विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अपलोड कराये गये विवरणों का एक बार पुनः पूरी सतर्कता एवं गहनता से जॉच कर लें। विशेषकर शिक्षकों के नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, पंजीकरण संख्या एवं अध्यापन का विषय, अर्हता एवं हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट के जिस विषय के अध्यापन हेतु उनकी नियुक्ति की गयी है उस विषय का विषय कोड एवं विषय के नाम की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली जाय, जिससे कोई भी शिक्षक किसी गलत विषय में परीक्षक नियुक्त न हो सके और न ही कोई अनर्ह शिक्षक परीक्षक नियुक्त हो सकें। यह भी ध्यान रखा जाय कि किसी भी दशा में एक शिक्षक का विवरण एक से अधिक विद्यालयों से अग्रसारित न होने पाये। आप द्वारा पोर्टल पर अपलोड करायी त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचनाओं के आधार पर यदि कोई अनर्ह/अयोग्य शिक्षक परीक्षक नियुक्त हो जाता है तो इसके लिये संबंधित प्रधानाचार्य उत्तरदायी मानें जायेगे।

विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विवरणों को संशोधित/अपडेट करने हेतु परिषद की वेबसाइट दिनांक दिनांक 23-12-2024 तक कियाशील रहेगी।

(भगवती सिंह)
सचिव

पृ0सं0: मा0शि0प0/सिस्टम सेल/ 618 दिनांक: 16 दिसम्बर 2024

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतः इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2- विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- शिक्षा निदेशक(मा0) एवं मा0शि0प0, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

5- अपर शिक्षा निदेशक(पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

6- अपर शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।

7- समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

9- अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराये तथा इसका सतत् अनुश्रवण करते रहें

10- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति अपने जनपद में व्यापक रूप से प्रसारित करायें।

(भगवती सिंह)
सचिव